कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा / निप्र / डी–I / 22709 / मैन / प्र.वा. / 2018–19 / 288 दिनांक : 12.02.2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) – माध्यमिक ।

विषयः– दिनांक : 18–23 फरवरी, 2019 की अवधि में आयोज्य सत्रः 2018–19 की दो दिवसीय सत्रान्त संस्था प्रधान वाक्पीठ के प्रभावी एवं सार्थक आयोजन बाबत् ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शिविरा पंचाग : 2018–19 में प्रदत्त निर्देशानुरूप सत्रान्त संस्था प्रधान वाक्पीठ का आयोजन दिनांक : : 18–23 फरवरी, 2019 की अवधि में दो दिवसों में किया जाना है। संस्था प्रधान वाक्पीठ जिला स्तर पर शैक्षिक एवं प्रशासनिक विषयों पर चिन्तन, मनन, विचार व्यक्त करने तथा तदनुसार प्राप्त नवाचारों एवं अनुभूत शैक्षिक–प्रशासनिक अनुभवों के आदान–प्रदान उपरान्त ज्वलंत शैक्षिक मुद्दों के सार्थक एवं सकारात्मक प्रबन्धन हेतु संस्था प्रधानों को तैयार करने का एक सुदृढ़ माध्यम एवं प्रभावशाली मंच है । इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिलास्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। वाक्पीठ के प्रभावी एवं समन्वित संचालन में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के शैक्षिक प्रकोष्ठ तथा वाक्पीठ कार्यकारिणी की अहम् भूमिका होती है। उक्त क्रम में सत्रान्त की संस्था प्रधान वाक्पीठ के एजेण्डे में स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दों एवं विषयों के साथ विभिन्न ज्वलंत एवं सम–सामयिक शैक्षिक विषयों / मुद्दों पर सार्थक चर्चा / विशेषज्ञ वार्ता हेतु अग्रांकित बिन्दुओं एवं निर्देशित कार्यवाही को आवश्यक रूप से शामिल किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. **संस्था प्रधान की भागीदारी** :– जिला स्तर पर आयोजित उक्त वाक्पीठ में समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान स्वयं भाग लेंगे। संस्था प्रधान का पद रिक्त होने की स्थिति में प्रभारी / कार्यवाहक संस्था प्रधान द्वारा भाग लिया जाएगा। अपरिहार्य स्थिति में संस्था प्रधान द्वारा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अपने प्रतिनिधि को भागीदारी हेतु नामित किया जा सकता है।
2. **बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन :–** इस कार्यालय के निर्देश परिपत्र कमांक : शिविरा–मा / माध्य / निप्र / डी–I / 21901 / पप / 2019 / 182 , दिनांक : 15.01.2019 द्वारा बोर्ड परीक्षा परिणाम में संख्यात्मक वृद्धि के साथ ही गुणात्मक उन्नयन के लिए समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कियान्वयति हेतु निर्मित "बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन कार्य योजना – 2019" की समुचित पालना बाबत् निर्देश प्रदान किए गए हैं। संस्था प्रधान वाक्पीठ के दौरान एक सत्र में उक्त कार्य योजना के सार्थक एवं प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में वार्ता / परिचर्चा का आयोजन एवं विगत वर्षों में संख्यात्मक एवं गुणात्मक रूप से उल्लेखनीय बोर्ड परीक्षा परिणाम हेतु चर्चित / बहु–प्रशंसित संस्था प्रधान / विषयाध्यापक के अनुभव / सुझाव / सक्सैस स्टोरी के रूप में समस्त संस्था प्रधानों से साझा करवाए जाने हेतु समुचित कार्यवाही सम्पादित करावें।
3. **ज्ञान संकल्प पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष** :– राज्य सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों को विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दान दाताओं / जन समुदाय से सहयोग राशि प्राप्त करने के लिए "ज्ञान संकल्प पोर्टल" की स्थापना की गई है। वर्तमान में राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तरीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना के क्रम में नवीन परिप्रेक्ष्यानुरूप इस कार्यालय के निर्देश पत्र कमांक : शिविरा / माध्य / आदर्श विद्यालय / सीएसआर / 18–19, दिनांक : 21.01.19 द्वारा समस्त राजकीय विद्यालयों के शैक्षिक एवं भौतिक विकास को निरन्तरता प्रदान करने हेतु स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए इन विशिष्ट नवाचारों के सम्बन्ध में सामयिक निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त बाबत् शासकीय अपेक्षानुरूप समस्त राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों को इस सम्बन्ध में समुचित अवगति एवं उक्तानुरूप सक्रिय भागीदारी हेतु वाक्पीठ के दौरान विशेषज्ञ वार्ता /चर्चा आयोजित करवाई जाए।
4. **छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाएं** :– समस्त राजकीय विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन से सम्बन्धित योजनाएं राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, जो

Scanned by CamScanner

कि नामांकन वृद्धि हेतु शासकीय नीति का अभिन्न अंग है। उक्त योजनाओं से सम्बन्धित पात्र छात्र–छात्राओं को योजना में देय लाभ एवं सुविधाएं निर्धारित समयावधि में दिलवाया जाना समस्त संस्था प्रधानों के पदीय दायित्व में सम्मिलित है। वर्तमान में उक्त योजनाओं/छात्रवृत्ति हेतु निदेशालय द्वारा आवंटित बजट का भुगतान सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)– माध्यमिक को किया जा रहा है। सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)– माध्यमिक द्वारा विद्यार्थियों को उक्त भुगतान ऑन – लाईन प्रकिया (भामाशाह पोर्टल) द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना है। वाक्पीठ आयोजन के दौरान सम्पूर्ण जिले के पात्र विद्यार्थियों को समस्त प्रकार की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं में देय लाभ एवं सुविधाओं, पात्रता, आवेदन अवधि, आवेदन की विधि एवं प्रक्रिया इत्यादि घटकों के सम्बन्ध में विस्तृत अवगति समस्त संस्था प्रधानों को प्रदान किए जाने हेतु विज्ञजनों की वार्ता /चर्चा आयोजित की जानी सुनिश्चित करें। उक्त वार्ता में मौजूदा वित्तीय वर्ष में समस्त पात्र विद्यार्थियों को डीबीटी माध्यम से भुगतान प्राप्ति के सत्यापन उपरान्त वांछित सूचना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यथा समय प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया जाना समीचीन है, जिससे की सम्पूर्ण जिले का समेकित उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू.सी.) यथासमय निदेशालय प्रेषित किया जा सके।

5. **<u>बोर्ड परीक्षा प्रबन्धन</u>** : –माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य माध्यमिक/उच्च माध्यमिक परीक्षा इस वर्ष 07 मार्च – 2019 से 02 अप्रेल – 2019 की अवधि के दौरान आयोजित की जाएगी। जिला क्षेत्राधिकार में उक्त परीक्षा के समुचित एवं निर्विघ्न संचालन हेतु बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देशानुरूप वीडियोग्राफी/सीसी टीवी सर्विलांस सिस्टम के पारदर्शितापूर्ण उपयोग तथा परीक्षा आयोजन हेतु केन्द्राधीक्षकों द्वारा विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बिन्दुओं पर पूर्ण प्रशिक्षित, अनुभवी एवं विज्ञ जन की वार्ता आवश्यक रूप से आयोजित करवाई जाए।

6. **<u>कम्प्यूटर/आई.सी.टी. लैब :–</u>** विद्यालयों में कम्प्यूटर/आई.सी.टी. लैब को पूर्ण क्रियाशील एवं जिज्ञासु विद्यार्थियों हेतु सीखने के उपागम के रूप में तैयार किए जाने हेतु उक्त लैब के प्रभावी एवं सम्यक् उपयोग हेतु चर्चित/प्रशंसित संस्था प्रधान अथवा शिक्षक का व्याख्यान/वार्ता आयोजन एवं लैब प्रभारी का चार्ज आवश्यक रूप से विद्यालय में विज्ञ शिक्षक को देते हुए उसकी प्रविष्टि तत्काल "शाला दर्पण पोर्टल" पर किए जाने हेतु समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें।

7. **<u>एकीकृत शाला दर्पण पोर्टल</u>** :– वर्तमान में शाला दर्पण एवं शाला दर्शन के समन्वयन उपरान्त एकीकृत पोर्टल के उपयोग/आवश्यक प्रविष्टियों एवं विभिन्न मॉड्यूल में वांछित सूचनाओं की त्वरित एवं परिशुद्ध प्रविष्टि की सम्यक् अवगति संस्था प्रधानों को प्रदान किए जाने हेतु सम्बन्धित विज्ञजन की वार्ता/परिचर्चा आयोजित करवाएं।

इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर अन्य सम–सामयिक महत्वपूर्ण मुद्दों एवं विषयों पर भी वाक्पीठ में आवश्यकतानुसार चर्चा/वार्ता आयोजित करवाई जा सकती है।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ठ शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. सचिव,माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,राजस्थान,बीकानेर ।
5. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग परिक्षेत्र में प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,समग्र शिक्षा अभियान।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
9. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली ।

उप निदेशक (माध्यमिक)

Scanned by CamScanner